ायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

करण सख्या : 74/2015

01. रामानन्द पुत्र बृजमोहन
02. संतोषबाई पत्नि बृजमोहन
03. बृजमोहन पुत्र मथुरालाल

} जातिगण मीणा निवासीगण भटवाडा तहसील मांगरोल

प्रार्थीगण

♠ बनाम ♠

01. लटूर पुत्र रामनाथ
02. ओमप्रकाश पुत्र शिवनारायण

} जातिगण माली निवासीगण मऊ तहसील मांगरोल

03. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आ0 टी0 एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री शत्रुघ्न सिंह गुर्जर (आरएएस)

वकील प्रार्थीगण : श्री अजीत कुमार जैन

वकील अप्रार्थीगण : श्री अमित कुमार गौड़

दायरा दिनांक: 23.12.2015

निर्णय दिनांक : 10.02.2022

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के नाम साबिक खसरा नं0 233 हाल खसरा नं0 1042/1668 रकबा 5.41 है0, खसरा नं0 1042 रकबा 2.42 है0, खसरा नं0 1042/1647 रकबा 2.74 है0 वाके ग्राम भटवाडा तहसील मांगरोल बतौर खातेदार दर्ज है। इसी के लगवा खसरा नं0 1043 का उत्तरी पश्चिमी हिस्सा 2.64 है0 प्रार्थी कम 2 के नाम बतोर खातेदार कृषक दर्ज है तथा शेष रकबा 1043 का उत्तरी पश्चिमी हिस्सा खसरा नं. 1044 के सहारे तथा खसरा नं. 1025 के उत्तरी ओर भूमि के मुताबिक हिस्सा अप्रार्थी कम 1 काबिज काश्त है तथा साबिक खसरा नं. 193/1 का हाल खसरा नं. 1035 प्रतिवादी नं. 2 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा खसरा नं. 1035/1647 अप्रार्थी कम 2 की पत्नि के नाम बतोर खातेदार कृषक दर्ज है। यह कि इस प्रार्थना पत्र के साथ साबिक नक्शा ट्रेस व वर्तमान नक्शा ट्रेस पेश किये जा रहे है जिसे परिशिष्ट "अ" के नाम से जाना जाऐगा। यह कि प्रार्थी कम 2 का खरीद शुदा हिस्सा खसरा नं. 1043 का उत्तरी पश्चिमी हिस्सा परिशिष्ट 'अ' में ABCD बिन्दुओं से दर्शाया गया है तथा CDEFG बिन्दुओ मे अप्रार्थी कम 1 हिस्सा दर्शाया गया है तथा XY स्थान पर दर्शाया है जिसमें अप्रार्थी कम 1 जो अप्रार्थी कम 1 व 2 की उत्तरी मेड को मिलाना चाहते है जो मेड विवादग्रस्त भूमि के वाद से संबंधित है। यह कि अप्रार्थी कम 1 अपने हिस्से की भूमि DEFG जो नजरी नक्शे में परिशिष्ट 'अ' में दर्शायी गयी है कि मिट्टी को ऊची उठाकर उसके प्राकृतिक स्वरूप को बिगाड कर उसको ऊची उठाना चाहता है तथा अप्रार्थी कम 2 भी इसी प्रकार भी XY स्थान को मिट्टी उठाकर नहर से XY स्थान से मिलाकर मिट्टी डालकर पानी जो अभी तक आराम से अप्रार्थी नं. 2 के प्राकृतिक स्वरूप के अनुसार बहता है उस बहाव को प्रार्थीगण के ABCD भूमि की ओर करके प्रार्थीगण को नुकसान पहुचाना चाहता है जिनका उन्हे किसी प्राकर का अधिकार हासिल नही है। यह कि अप्रार्थीगण साबिक नक्शा ट्रेस के मुताबिक कायम नही रहकर खसरा नं. 1043 में प्रार्थीगण के दक्षिणी ओर मिट्टी डालकर ऊंचा करना चाहते है जिनका कि उन्हे कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही है अगर अप्रार्थीगण उक्त परिशिष्ट 'अ' के EFGH के स्थान पर मिट्टी डालकर ऊंचा करने में सफल हो गये तो तथा अप्रार्थी कम 1 CG मेड को विवादित XY स्थान पर करने में सफल हो गये तो प्रार्थीगण को अपार क्षति होगी तथा प्रार्थीगण को अपनी

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल जिला बारां (राज0)

Scanned with CamScanner

रा नं. 1043 की उत्तरी पश्चिमी भूमि व 1042 की भूमि को काश्त करने में काफी परेशानी होगी ता पानी का निकास करने से फसल व भूमि बेकार हो जावेगी जिससे प्रार्थीगण को अपार क्षति होगी जसकी पूर्ति किया जाना संभव नही होगा। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण को उनके गलत उद्देश्य में कामयाब होने से रोकने के लिए अप्रार्थीगण को ता फैसला वाद जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द कराना आवश्यक हो गया जिसके प्रार्थीगण कानूनी अधिकारी व नालिसी है। यह कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण से दिनांक 10.12.2015 को कहा कि आराजी का प्राकृतिक स्वरूप जो परिशिष्ट 'अ' में स्थित CDEFG व GEF को मत बिगाडो तथा मिट्टी डालकर ऊंचा आदि मत करो तो उन्होने प्रार्थीगण की एक नही सुनी ओर कहा कि तुम्हारी इच्छा हो जो करलो ओर गाली गलोच कर मारपीट पर आमादा हो गये इस कारण प्रार्थीगण को न्याय प्राप्ति के लिए यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नही है इसलिए अप्रार्थीगण को उनके गलत उद्देश्य में कामयाब होने से रोकने के लिए जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा पावन्द किया जाना न्याय हित में आवश्यक है अन्यथा प्रार्थीगण को अपार क्षति का सामना करना पडेगा जिसकी पूर्ति भविष्य में की जानी संभव नही होगी। यह कि अन्य कारण दोराने बहस मौखिक निवेदन किये जायेगे।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 23.12.2015 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत न किये जाने पर एक पक्षीय बहस सुनी गयी ।

वकील पक्षकार की बहस सुनी गयी । बहस में वकील पक्षकार ने उन्ही तथ्यों को दौहराया जो उनके द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित किया गया है। प्रस्तुत पत्रावली में शामिल राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया गया । सम्पुर्ण पत्रावली का अध्ययन किया गया। अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना पत्र का निर्धारित करने के लिए न्यायालय को निम्न बिन्दुओ को देखना होता है।

01. प्रथम दृष्टया मामला 02. अपूर्णनीय क्षति 03. सुविधा का संतुलन

1. प्रथम दृष्टया मामला : प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा खसरा नं. 1042 खसरा नं. 1035 एवं खसरा नं. 1043 को मिट्टी डालकर ऊंचा नही करने एवं पानी की निकासी प्राकृतिक होते रहने देने बाबत अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा चाही गई है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार एवं राजस्व मंडल द्वारा कई निर्णित प्रकरणों में अभिनिर्धारित सिद्धांतो (RRD पेज 88) के अनुसार रिकोर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती । विचाराधीन प्रकरण में अप्रार्थीगण रिकोर्डेड खातेदार है। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नही होता है।
2. अपूर्णनीय क्षति : चूंकि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण अपने–अपने हिस्से की आराजी पर काबिज काश्त है। अतः अपूरणीय क्षति का प्रश्न ही नही उठता है। यह बिन्दू भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नही है।
3. सुविधा का संतुलन : चूंकि प्रकरण प्रथम दृष्टया एवं अपूर्णनीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में नही है। अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नही होता है।

अतः प्रार्थना पत्र, बहस एक पक्षीय, राजस्व रिकोर्ड के आधार पर एवं अस्थायी निषेधाज्ञा के अभिनिर्धारण हेतु आवश्यक तीनो बिन्दूओ पर विचार करने के पश्चात प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.02.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शत्रुघ्न सिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल जिला बारां (राज०)

Scanned with CamScanner